

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	Regd. No. RJ 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र03, शुक्रवार, शाके 1917—अगस्त25, 1995 <i>Bhadra03, Friday, Saka 1917—August25, 1995</i>	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 24, 1995

संख्या, प.2 (30) विधि/2/92- राजस्थान राज्य विधान मंडल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)
अधिनियम, 1995
(1995 का अधिनियम संख्या 23)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुई,]
गाय और उसकी नस्ल के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए अधिनियम:-
भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1- संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ,-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 है।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) 'गो-मांस' से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है;
- (ख) 'गोवंशीय पशु' से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल;
- (ग) 'सांड' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवस्थकृत नर अभिप्रेत है;
- (घ) 'बैल' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वस्थकृत नर अभिप्रेत है;
- (ङ) 'बछड़ा' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वस्थकृत या अवस्थकृत नर अभिप्रेत है;
- (च) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;
- (छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये;
- (ज) 'गाय' से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है;
- (झ) 'खण्ड आयुक्त' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ञ) 'निर्यात' से राजस्थान राज्य से राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;
- (ट) 'दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र' से दुर्भिक्ष या अभाव से ग्रस्त ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा

किसी समुचित विधि के अधीन, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई घोषणा की गयी है;

(ठ) “बछिया” से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष और उससे कम आयु की कोई मादा अभिप्रेत है;

(ड) वध’ से अभिप्रेत है किसी भी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना;

(ढ) “परिवाहक” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है,-

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) में यथापरिभाषित किसी माल गाड़ी के मामले में,-

(i) स्वामी, यदि बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ii) यान का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iii) माल या पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iv) प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक या मुख्य कार्यपालक या, यथास्थिति, कारवार का प्रभारी कोई भी अन्य व्यक्ति (जहां स्वामी कोई कम्पनी हो) जब बुकिंगें उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जायें;

(v) किसी भागीदारी फर्म के मामले में भागीदार, जब बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ख) रेल माल गाड़ी के मामले में,-

(i) किसी रेल स्टेशन पर माल और पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति; और/या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो किसी रेल स्टेशन पर रेल रसीदें तैयार करता है;

(ग) ऐसा परेपिती जिसे पशुधन परिदत्त किया जाना है; और

(घ) किसी भी अन्य मामले में, पशुधन का वहन करने वाला या उसके साथ जाने वाला व्यक्ति।

3. गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध— तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा ।

4. गोमांस और गोमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध,— तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा ।

5. वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन,— कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से गोवंशीय पशु का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन विहित और इसमें आगे अधिकथित रीति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी भी गोवंशीय पशु का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, गोवंशीय पशुओं की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गोवंशीय पशु के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान

चिह्न लगाये जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा और किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।

(5) ऐसे अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या के बारे में लिखित सूचना, फेरफारों के, यदि कोई हों, स्पष्टीकरण के साथ, देगा।

(6) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे गोवंशीय पशु राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(7) सक्षम प्राधिकारी कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से गोवंशीय पशु के निर्यात के लिए विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशु की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(8) उप-धारा (4), उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अधीन किये गये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी आवेदक या उप-धारा (7) के अधीन विशेष परमिट चाहने वाला, कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर खण्ड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और खण्ड आयुक्त ऐसे

आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

6. परिवाहक का दुष्प्रेरक होना— जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है।

7. अभिगृहीत गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा ,-(1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जायें तो अभिगृहीत किये गये गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम , 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सौंपी जा सकेगी:

परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी या गोशाला या कोई गोसदन नहीं हो वहां सक्षम प्राधिकारी गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या गोशाला या गोसदन को या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे ।

(2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जायें।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर -भीतर उसके विरुद्ध खण्ड आयुक्त को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी अपील पर खण्ड आयुक्त अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक आदेश के रोक दिये जाने का निर्देश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और ऐसे कोई भी और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों।

(5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहीत किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आयुक्त को , ऐसे पशु के कब्जे , परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी ।

8. शास्ति,- (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

9. उपहति कारित करने के लिए दण्ड,- (1) जो कोई किसी भी गोवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

(2) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय उपहति कारित करता है - वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

10. किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड,- (1) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियां कारित करता है, वह दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार रूपयें तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण. इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है-

- (i) पुंस्त्वहरण (सांड के मामले में),
- (ii) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना,
- (iii) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,
- (iv) किस भी अंग या जोड़ को अलग करना,

(v) किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन,

90

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 25, 1995

भाग 4 (क)

(vi) कोई भी ऐसी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

11. सबूत का भार,-जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था।

12. स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति:- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके आगे “प्राधिकृत व्यक्ति” कहा गया है) ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहाँ सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है।

(2) ऐसे स्थान का अधिभोगी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति की उस स्थान में पहुंच को अनुज्ञात करेगा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार देगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में यावत्साध्य, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित, संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।

13. इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक समझा जाना:- इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले संमस्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

14. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण:- किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी यात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य

विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जायें या की जाने के लिए आशयित हो।

15. नियम बनाने की शक्ति:- राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

16. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 का संशोधन:- इस अधिनियम का प्रारम्भ होते ही, राजस्थान कतिपय पशु परिरक्षण अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें आगे पूर्वोक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 और धारा 3 हटायी जायेंगी।

17. व्यावृत्तियां:-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 3 का हटाया जाना-

- (i) पूर्वोक्त अधिनियम की इन धाराओं के उपबंधों के विरुद्ध किये गये किसी भी अपराध के संबंध में अधिरोपित या भुगत गये किसी भी जुर्माने, शास्ति या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ii) कोई भी दायित्व उपगत करने, कोई भी जुर्माना, शास्ति या दण्ड अधिरोपित करने या उपलब्ध किसी भी उपचार के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लंबित किसी भी अन्वेषण या विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा;
- (iii) इन धाराओं के पूर्व-प्रवर्तन या इनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या भुगती गयी किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा;

और ऐसे किसी भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचार को ऐसे संस्थित किया, जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकेगा, और किसी भी ऐसे जुर्माने, शास्ति या दण्ड को ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो ये धाराएं इस प्रकार नहीं हटायी गयी हों।

जे. पी. बंसल,
शासन
सचिव।